

बिहार सरकार

पंचायती राज विभाग

प्रेषक,

कल्पना कुमारी,
अनुश्रवण पदाधिकारी

सेवा में,

सभी उप विकास आयुक्त-सह-
मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, जिला परिषद, बिहार।
सभी जिला पंचायत राज पदाधिकारी, बिहार।

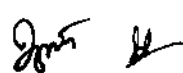
पटना, दिनांक 11/21/2020

विषय : विभागीय राज्यादेश संख्या 02(स्वी०) दिनांक 31.05.2019 द्वारा स्वीकृत कुल ₹3,50,00,00,000.00 (तीन अरब पचास करोड़ रुपये) मात्र की राशि में से अवशेष कुल ₹1,21,08,89,600.00 (एक अरब इक्कीस करोड़ आठ लाख नबासी हजार छः सौ रुपये) मात्र की राशि का आवंटन।

महाशय,

उपर्युक्त विषयक कहना है कि विभागीय राज्यादेश संख्या 02(स्वी०) दिनांक 31.05.2019 द्वारा त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं एवं ग्राम कचहरी के निर्वाचित प्रतिनिधियों (सदस्य)/जिला परिषद के अध्यक्ष/उपाध्यक्ष, पंचायत समिति के प्रमुख/उप-प्रमुख, ग्राम पंचायत के मुखिया/उप-मुखिया एवं ग्राम कचहरी के सरपंच/उप-सरपंच को वित्तीय वर्ष 2019-20 में समेकित नियत (मासिक) भत्ता भुगतान हेतु उक्त स्वीकृत्यादेश के साथ संलग्न जिलावार विवरणी-1 के अनुसार जिला परिषद के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष तथा सदस्यों को ₹4,26,12,000.00 (चार करोड़ छब्बीस लाख बारह हजार रुपये) मात्र की राशि, विवरणी-2 के अनुसार पंचायत समिति के प्रमुख, उप-प्रमुख तथा सदस्यों को ₹22,08,48,000.00 (बाईस करोड़ आठ लाख अड़तालीस हजार रुपये) मात्र की राशि, विवरणी-3 के अनुसार ग्राम पंचायत के मुखिया, उप-मुखिया तथा सदस्यों को ₹1,01,28,25,200.00 (एक अरब एक करोड़ अठ्ठाईस लाख पच्चीस हजार दो सौ रुपये) मात्र की राशि, तथा विवरणी-4 के अनुसार ग्राम कचहरी के सरपंच, उप-सरपंच, तथा सदस्यों (पंचों) को ₹1,01,28,25,200.00 (एक अरब एक करोड़ अठ्ठाईस लाख पच्चीस हजार दो सौ रुपये) मात्र की राशि, कुल मिलाकर ₹2,28,91,10,400.00 (दो अरब अठ्ठाईस करोड़ इक्यानबे लाख दस हजार चार सौ रुपये) मात्र एवं पूर्व वर्षों के बकाया भत्ता भुगतान हेतु ₹1,21,08,89,600.00 (एक अरब इक्कीस करोड़ आठ लाख नबासी हजार छह सौ रुपये रुपये) मात्र की राशि अर्थात् कुल ₹3,50,00,00,000.00 (तीन अरब पचास करोड़ रुपये) मात्र की राशि की स्वीकृति इस आधार पर दी गई है कि योजना उद्व्यय एवं बजटीय उपबंध के अन्तर्गत ही राशि आवंटित की जायेगी।

विभागीय आवंटनादेश संख्या 16(आ०) दिनांक 18.07.2019 द्वारा ₹1,14,45,55,200.00 (एक अरब चौदह करोड़ पैंतालीस लाख पचपन हजार दो सौ रुपये) मात्र एवं 38(आ०) दिनांक



संज्ञा/...



②

04.09.2019 द्वारा ₹1,14,45,55,200.00 (एक अरब चौदह करोड़ पैंतालीस लाख पचपन हजार दो सौ रुपये) मात्र अर्थात् कुल ₹2,28,91,10,400.00 (दो अरब अट्ठाईस करोड़ इक्क्यानबे लाख दस हजार चार सौ रुपये) मात्र की राशि आवंटित की गई है।

2. उक्त के आलोक में वित्तीय वर्ष 2019-20 में नियत भत्ता की राशि की निकासी हेतु इस आवंटनादेश के साथ संलग्न विवरणी-I के अनुसार जिला परिषद् के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष एवं सदस्यों हेतु जिलावार ₹2,27,88,000.00 (दो करोड़ सत्ताईस लाख अठासी हजार रुपये) मात्र, विवरणी-II के अनुसार पंचायत समिति के प्रमुख, उप-प्रमुख एवं सदस्यों हेतु जिलावार ₹11,65,52,000.00 (ग्यारह करोड़ पैंसठ लाख बावन हजार रुपये) मात्र, विवरणी-III के अनुसार ग्राम पंचायत के मुखिया, उप-मुखिया एवं सदस्यों हेतु जिलावार ₹53,57,74,800.00 (तिरपन करोड़ सत्तावन लाख चौहत्तर हजार आठ सौ रुपये) मात्र एवं विवरणी-IV के अनुसार ग्राम कचहरी के सरपंच, उप-सरपंच एवं सदस्यों हेतु जिलावार ₹53,57,74,800.00 (तिरपन करोड़ सत्तावन लाख चौहत्तर हजार आठ सौ रुपये) मात्र अर्थात् कुल ₹1,21,08,89,600.00 (एक अरब इक्कीस करोड़ आठ लाख नबासी हजार छः सौ रुपये) मात्र की राशि आवंटित की जाती है।

3. त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं के पदधारकों एवं प्रतिनिधियों हेतु आवंटित राशि के निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी संबंधित जिलों के उप विकास आयुक्त-सह-मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, जिला परिषद् एवं ग्राम कचहरी के पदधारकों एवं प्रतिनिधियों हेतु आवंटित राशि के निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी संबंधित जिलों के जिला पंचायत राज पदाधिकारी होंगे, जो आवंटित राशि का व्यय एवं उपयोग राज्यादेश संख्या 02(स्वी०) दिनांक 31.05.2019 में निहित अनुदेशों के आलोक में करेंगे।

4. इस आवंटित राशि का उपयोग वित्तीय वर्ष 2019-20 के लिए तथा विगत वर्षों के बकाया भुगतान के लिए पूर्व निर्धारित दर से किया जायेगा।

5. यह आवंटन वित्त विभाग के परिपत्र संख्या एम-4-05/98-2561 वि(2) दि० 17 अप्रैल 1998, 256 दिनांक 26.02.2019, 3392 दिनांक 01.03.2019 एवं 732 दिनांक 31.07.2019 में निहित अनुदेशों के आलोक में निर्गत किया जा रहा है।

6. आवंटित राशि की निकासी वित्तीय वर्ष 2019-20 के मांग संख्या-16 के अन्तर्गत राज्य स्कीम में उपबंधित निम्नांकित बजट शीर्षों के अन्तर्गत की जायेगी :-

जिला परिषदों के लिए -

(क) सामान्य घटक:- "मुख्य शीर्ष-2515-अन्य ग्राम विकास कार्यक्रम-उपमुख्य शीर्ष-00-लघु शीर्ष-196-जिला परिषदों/जिला स्तर की पंचायतों को सहायता-उपशीर्ष-0106-जिला परिषद् के निर्वाचित प्रतिनिधियों को नियत भत्ता हेतु।" इसका विषय शीर्ष 0106.31.06-सहायक अनुदान-गैर वेतन एवं विपत्र कोड 16-2515001960106 है।

(ख) अनुसूचित जाति विशेष घटक:- "मुख्य शीर्ष-2515-अन्य ग्राम विकास कार्यक्रम-उपमुख्य शीर्ष-00-लघु शीर्ष-789-अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक

अमर

प्रमाणित -

योजना-उपशीर्ष-0106-जिला परिषद् के निर्वाचित प्रतिनिधियों को नियत भत्ता हेतु।" इसका विषय शीर्ष 0106.31.06-सहायक अनुदान-गैर वेतन एवं विपत्र कोड 16-2515007890106 है।

पंचायत समितियों के लिए -

(क) सामान्य घटक:- "मुख्य शीर्ष-2515-अन्य ग्राम विकास कार्यक्रम-उपमुख्य शीर्ष-00-लघु शीर्ष-197-ब्लॉक पंचायतों/मध्यवर्ती स्तर की पंचायतों को सहायता-उपशीर्ष-0103-पंचायत समिति के निर्वाचित प्रतिनिधियों को नियत भत्ता हेतु।" इसका विषय शीर्ष 0103.31.06-सहायक अनुदान-गैर वेतन एवं विपत्र कोड 16-2515001970103 है।

(ख) अनुसूचित जाति विशेष घटक:- "मुख्य शीर्ष-2515-अन्य ग्राम विकास कार्यक्रम-उपमुख्य शीर्ष-00-लघु शीर्ष-789-अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना-उपशीर्ष-0105-पंचायत समिति के निर्वाचित प्रतिनिधियों को नियत भत्ता हेतु।" इसका विषय शीर्ष 0105.31.06-सहायक अनुदान-गैर वेतन एवं विपत्र कोड 16-2515007890105 है।

ग्राम पंचायतों के लिए -

(क) सामान्य घटक:- "मुख्य शीर्ष-2515-अन्य ग्राम विकास कार्यक्रम-उपमुख्य शीर्ष-00-लघु शीर्ष-198-ग्राम पंचायतों को सहायता-उपशीर्ष-0105-ग्राम पंचायतों के निर्वाचित प्रतिनिधियों का नियत भत्ता हेतु।" इसका विषय शीर्ष 0105.31.06-सहायक अनुदान-गैर वेतन एवं विपत्र कोड 16-2515001980105 है।

(ख) अनुसूचित जाति विशेष घटक:- "मुख्य शीर्ष-2515-अन्य ग्राम विकास कार्यक्रम-उपमुख्य शीर्ष-00-लघु शीर्ष-789-अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना-उपशीर्ष-0103-ग्राम पंचायतों के निर्वाचित प्रतिनिधियों को नियत भत्ता हेतु।" इसका विषय शीर्ष 0103.31.06-सहायक अनुदान-गैर वेतन एवं विपत्र कोड 16-2515007890103 है।

ग्राम कचहरियों के लिए -

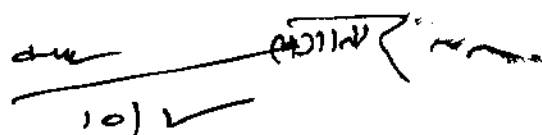
(क) सामान्य घटक:- "मुख्य शीर्ष-2515-अन्य ग्राम विकास कार्यक्रम- उपमुख्य शीर्ष-00-लघु शीर्ष-198-ग्राम पंचायतों को सहायता-उपशीर्ष-0106-ग्राम कचहरी के निर्वाचित प्रतिनिधियों को नियत भत्ता हेतु।" इसका विषय शीर्ष 0106.31.06-सहायक अनुदान-गैर वेतन एवं विपत्र कोड 16-2515001980106 है।

(ख) अनुसूचित जाति विशेष घटक:- "मुख्य शीर्ष-2515-अन्य ग्राम विकास कार्यक्रम-उपमुख्य शीर्ष-00-लघु शीर्ष-789-अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना-उपशीर्ष-0104-ग्राम कचहरी के निर्वाचित प्रतिनिधियों को नियत भत्ता हेतु।" इसका विषय शीर्ष 0104.31.06-सहायक अनुदान-गैर वेतन एवं विपत्र कोड 16-2515007890104 है।

7. इस आवंटित राशि की निकासी संबंधित जिला कोषागार से बिहार कोषागार संहिता, 2011 के सुसंगत नियमों के आलोक में की जायेगी।

8. कोषागार में प्रस्तुत किये जाने वाले सभी विपत्रों पर मुख्य शीर्ष/लघुशीर्ष/उपशीर्ष/प्राथमिक इकाई आदि की स्पष्ट मुहर, इकाईयों का कोड, विपत्र कोड एवं मांग संख्या




101 ✓

अनिवार्य रूप से अंकित की जाये ताकि महालेखाकार के कार्यालय में लेखा संधारण समुचित ढंग से हो सके।

9. वित्तीय नियमावली, बजट मैनुअल तथा अन्य सुसंगत अभिलेखों में निहित प्रावधानों तथा समय-समय पर निर्गत आदेशों का दृढ़तापूर्वक पालन किया जाये ताकि व्यय पर वास्तविक रूप से नियंत्रण रखा जा सके।

10. किसी भी परिस्थिति में आवंटन दिये जाने का अर्थ व्यय की स्वीकृति नहीं समझा जाये तथा भुगतान के औचित्य से पूर्णतः संतुष्ट होने के उपरान्त ही भुगतान की कार्रवाई की जाये। तदनुसार भुगतान सुनिश्चित करना संबंधित पदाधिकारी की व्यक्तिगत जिम्मेवारी होगी।

11. नियमानुसार स्रोत पर अनुमान्य कटौती करना तथा उसके लिए आवश्यक प्रमाण पत्र निर्गत करना संबंधित निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी/भुगतान करने वाले पदाधिकारी की जिम्मेवारी होगी।

12. इस आवंटित राशि की व्यय विवरणी/उपयोगिता प्रमाण पत्र प्रत्येक माह की पाँचवी तारीख तक अपने नियंत्री पदाधिकारी को तथा मुख्यालय को भेजना सुनिश्चित किया जाये।

13. इस आवंटन आदेश तथा इसके साथ विवरणी के सभी पृष्ठ अनुश्रवण पदाधिकारी, पंचायती राज विभाग द्वारा हस्ताक्षरित हैं।

14. आवंटन प्रस्ताव एवं प्रारूप में विभागीय प्रधान सचिव का अनुमोदन प्राप्त है।

15. इसकी सूचना महालेखाकार (ले० एवं ह०), बिहार, वीरचन्द पटेल पथ, पटना को भी दी जा रही है।

अनुलग्नक : यथा उपर्युक्त

विश्वासभाजन
(कल्पना कुमारी)
अनुश्रवण पदाधिकारी

ज्ञापांक : 5प/राज्य स्कीम-02-12/2017/68(आ०)/ पं०रा० पटना, दिनांक 11.12.2020
प्रतिलिपि: महालेखाकार (ले० एवं ह०), बिहार, पटना/सभी जिला पदाधिकारी, बिहार/सभी जिला कोषागार पदाधिकारी, बिहार/प्रभारी पदाधिकारी, प्रशाखा 08, पंचायती राज विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

अनुलग्नक : यथा उपर्युक्त

(कल्पना कुमारी)
अनुश्रवण पदाधिकारी

ज्ञापांक : 5प/राज्य स्कीम-02-12/2017/68(आ०)/ पं०रा० पटना, दिनांक 11.12.2020
प्रतिलिपि : आई०टी० मैनेजर, पंचायती राज विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

अनुलग्नक : यथा उपर्युक्त।

(कल्पना कुमारी)
अनुश्रवण पदाधिकारी

विवरणी-1

वित्तीय वर्ष 2019-20 में उप विकास आयुक्त-सह-मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, जिला परिषद को जिले की त्रि-स्तरीय पंचायती राज संस्थाओं के अंतर्गत जिला परिषद (जिला परिषद अध्यक्ष/उपाध्यक्ष/सदस्य हेतु) को बकाया आवंटित राशि का विवरण।

क्र०	जिला	जिला परिषदों के लिए		कुल राशि (रुपये में) (3+4)	
		सामान्य घटक बजट कोड 18-2515001860106 के विषय शीर्ष-0106. 31.06-सहायक अनुदान-गैर वेतन	अनुसूचित जाति घटक बजट कोड 18-2515007890106 के विषय शीर्ष-0105.31. 06-सहायक अनुदान-गैर वेतन		
1	2	3	4	5	
1.	बक्सर	3,12,774.00	69,905.00	3,82,679.00	(तीन लाख बेरासी हजार छह सौ उनासी रुपये) मात्र
2.	रोहतास	4,64,493.00	2,54,834.00	7,19,327.00	(सात लाख उनीस हजार तीन सौ सताईस रुपये) मात्र
3.	भोजपुर	4,41,152.00	98,597.00	5,39,749.00	(पाँच लाख उनचालीस हजार सात सौ उनचास रुपये) मात्र
4.	नालन्दा	4,76,164.00	1,06,422.00	5,82,586.00	(पाँच लाख बेरासी हजार पाँच सौ छियासी रुपये) मात्र
5.	पटना	6,16,212.00	1,37,722.00	7,53,934.00	(सात लाख तिरपन हजार नौ सौ चौतीस रुपये) मात्र
6.	कैमूर	3,01,104.00	67,296.00	3,68,400.00	(तीन लाख अड़सठ हजार चार सौ रुपये) मात्र
7.	गया	6,16,212.00	1,37,722.00	7,53,934.00	(सात लाख तिरपन हजार नौ सौ चौतीस रुपये) मात्र
8.	नवादा	3,71,128.00	82,946.00	4,54,074.00	(चार लाख चौवन हजार चौहत्तर रुपये) मात्र
9.	औरंगाबाद	4,06,140.00	90,772.00	4,96,912.00	(चार लाख छियानवे हजार नौ सौ बारह रुपये) मात्र
10.	जहानाबाद	2,31,080.00	51,646.00	2,82,726.00	(दो लाख बेरासी हजार सात सौ छब्बीस रुपये) मात्र
11.	अरवल	1,84,397.00	41,212.00	2,25,609.00	(दो लाख पच्चीस हजार छह सौ नौ रुपये) मात्र
12.	सारण	6,27,883.00	1,40,331.00	7,68,214.00	(सात लाख अड़सठ हजार दो सौ चौदह रुपये) मात्र
13.	सिवान	5,57,859.00	1,24,680.00	6,82,539.00	(छह लाख बेरासी हजार पाँच सौ उनचालीस रुपये) मात्र
14.	गोपालगंज	4,52,823.00	1,01,205.00	5,54,028.00	(पाँच लाख चौवन हजार अठाईस रुपये) मात्र
15.	मुजफ्फरपुर	7,09,578.00	1,58,589.00	8,68,167.00	(आठ लाख अड़सठ हजार एक सौ सड़सठ रुपये) मात्र
16.	वैशाली	5,57,859.00	1,24,680.00	6,82,539.00	(छह लाख बेरासी हजार पाँच सौ उनचालीस रुपये) मात्र
17.	पू० चम्पारण	7,44,590.00	1,66,415.00	9,11,005.00	(नौ लाख ग्याहर हजार पाँच रुपये) मात्र
18.	प० चम्पारण	5,69,529.00	1,27,289.00	6,96,818.00	(छह लाख छियानवे हजार आठ सौ अठारह रुपये) मात्र
19.	सीतामढ़ी	5,22,847.00	1,16,855.00	6,39,702.00	(छह लाख उनचालीस हजार सात सौ दो रुपये) मात्र
20.	शिवहर	1,61,055.00	35,996.00	1,97,051.00	(एक लाख सनतानवे हजार एकावन रुपये) मात्र
21.	भागलपुर	4,41,152.00	98,597.00	5,39,749.00	(पाँच लाख उनचालीस हजार सात उनचास रुपये) मात्र
22.	बांका	3,71,128.00	82,946.00	4,54,074.00	(चार लाख चौवन हजार चौहत्तर रुपये) मात्र

वित्तीय वर्ष 2019-20 में उप विकास आयुक्त-सह-मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, जिला परिषद को जिले की त्रि-स्तरीय पंचायती राज संस्थाओं के अंतर्गत जिला परिषद (जिला परिषद अध्यक्ष/उपाध्यक्ष/सदस्य हेतु) को बकाया आवंटित राशि का विवरण।

क्र०	जिला	जिला परिषदों के लिए		कुल राशि (रूपये में) (3+4)	
		सामान्य घटक बजट कोड 16-2515001960106 के विषय शीर्ष-0106. 31.06-सहायक अनुदान-गैर वेतन	अनुसूचित जाति घटक बजट कोड 16-2515007890108 के विषय शीर्ष-0105.31. 06-सहायक अनुदान-गैर वेतन		
1	2	3	4	5	
23.	मधुबनी	30,87,917.00	1,63,806.00	32,51,723.00	(बत्तीस लाख एकावन हजार सात सौ तेईस रुपये) मात्र
24.	समस्तीपुर	6,74,566.00	1,50,764.00	8,25,330.00	(आठ लाख पचीस हजार तीन सौ तीस रुपये) मात्र
25.	दरभंगा	6,27,883.00	1,40,331.00	7,68,214.00	(सात लाख अड़सठ हजार दो सौ चौदह रुपये) मात्र
26.	सहरसा	3,24,445.00	72,513.00	3,96,958.00	(तीन लाख छियानवे हजार नौ सौ अनठावन रुपये) मात्र
27.	मधेपुरा	3,47,786.00	77,730.00	4,25,516.00	(चार लाख पचीस हजार पाँच सौ सोलह रुपये) मात्र
28.	सुपौल	3,71,128.00	82,946.00	4,54,074.00	(चार लाख चौवन हजार चौहत्तर रुपये) मात्र
29.	पूर्णिया	4,76,164.00	1,06,422.00	5,82,586.00	(पाँच लाख बेरासी हजार पाँच सौ छियासी रुपये) मात्र
30.	अररिया	4,29,481.00	95,988.00	5,25,469.00	(पाँच लाख पचीस हजार चार सौ उनहत्तर रुपये) मात्र
31.	किशनगंज	2,89,433.00	64,688.00	3,54,121.00	(तीन लाख चौवन हजार एक सौ एककीस रुपये) मात्र
32.	कटिहार	4,64,493.00	1,03,813.00	5,68,306.00	(पाँच लाख अड़सठ हजार तीन सौ छह रुपये) मात्र
33.	मुंगेर	2,42,750.00	54,254.00	2,97,004.00	(दो लाख सनतानवे हजार चार रुपये) मात्र
34.	जमुई	3,12,774.00	69,905.00	3,82,679.00	(तीन लाख बेरासी हजार छह सौ उनासी रुपये) मात्र
35.	बेगुसराय	4,87,835.00	1,09,030.00	5,96,865.00	(पाँच लाख छियानवे हजार आठ सौ पैसठ रुपये) मात्र
36.	खगड़िया	2,89,433.00	64,688.00	3,54,121.00	(तीन लाख चौवन हजार एक सौ एककीस रुपये) मात्र
37.	लखीसराय	2,07,738.00	46,429.00	2,54,167.00	(दो लाख चौवन हजार एक सड़सठ रुपये) मात्र
38.	शेखपुरा	1,61,055.00	35,996.00	1,97,051.00	(एक लाख सनतावन हजार एकावन रुपये) मात्र
कुल राशि		1,89,32,040.00	38,55,960.00	2,27,88,000.00	(दो करोड़ सताईस लाख अठासी हजार रुपये) मात्र

(Handwritten signatures and marks)

विवरणी-2

वित्तीय वर्ष 2019-20 में उप विकास आयुक्त-सह-मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, जिला परिषद को जिले की त्रि-स्तरीय पंचायती राज संस्थाओं के अंतर्गत पंचायत समिति (पंचायत समिति प्रमुख/उप-प्रमुख/पंचायत समिति सदस्य हेतु) को बकाया आवंटित राशि का विवरण।

क्र०	जिला	पंचायत समितियों के लिए		कुल राशि (रुपये में) (3+4)	
		सामान्य घटक बजट कोड 16-2515001970103 के विषय शीर्ष-0103. 31.06-सहायक अनुदान-गैर वेतन	अनुसूचित जाति घटक बजट कोड 16-2515007890105 के विषय शीर्ष-0105.31. 06-सहायक अनुदान-गैर वेतन		
1	2	3	4	5	
1.	बक्सर	16,63,265.00	3,70,058.00	20,33,323.00	(बीस लाख तैतीस हजार तीन सौ तेईस रुपये) मात्र
2.	रोहतास	27,97,972.00	6,22,518.00	34,20,490.00	(चौतीस लाख बीस हजार चार सौ नब्बे रुपये) मात्र
3.	भोजपुर	23,85,792.00	5,30,813.00	29,16,605.00	(उनतीस लाख सोलह हजार छह सौ पाँच रुपये) मात्र
4.	नालन्दा	29,19,201.00	6,49,490.00	35,68,691.00	(पैंतीस लाख अड़सठ हजार छह सौ ईक्कानवें रुपये) मात्र
5.	पटना	36,02,934.00	8,01,613.00	44,04,547.00	(चौवालीस लाख चार हजार पाँच सौ सैतालीस रुपये) मात्र
6.	कैमूर	15,95,377.00	3,54,954.00	19,50,331.00	(उनीस लाख पचास हजार तीस सौ एकतीस रुपये) मात्र
7.	गया	37,38,711.00	8,31,822.00	45,70,533.00	(पैंतालीस लाख सतर हजार पाँच सौ तैतीस रुपये) मात्र
8.	नवादा	21,14,238.00	4,70,395.00	25,84,633.00	(पचीस लाख चौरासी हजार छह सौ तैतीस रुपये) मात्र
9.	औरंगाबाद	20,75,445.00	4,61,764.00	25,37,209.00	(पचीस लाख सैतीस हजार दो सौ नौ रुपये) मात्र
10.	जहानाबाद	10,61,968.00	2,36,276.00	12,98,244.00	(बारह लाख अठानवें हजार दो सौ चौवालीस रुपये) मात्र
11.	अरवल	7,41,923.00	1,65,070.00	9,06,993.00	(नौ लाख छह हजार नौ सौ तिरानवें रुपये) मात्र
12.	सारण	35,15,649.00	7,82,193.00	42,97,842.00	(बेयालीस लाख सतानवें हजार आठ सौ बेयालीस रुपये) मात्र
13.	सिवान	30,01,637.00	6,67,831.00	36,69,468.00	(छत्तीस लाख उनहत्तर हजार चार सौ अड़सठ रुपये) मात्र
14.	गोपालगंज	24,34,284.00	5,41,601.00	29,75,885.00	(उनतीस लाख पचहत्तर हजार आठ सौ पचासी रुपये) मात्र
15.	मुजफ्फरपुर	35,73,839.00	7,95,140.00	43,68,979.00	(तैंतालीस लाख अड़सठ हजार नौ सौ उनासी रुपये) मात्र
16.	वैशाली	29,24,050.00	6,50,569.00	35,74,619.00	(पैंतीस लाख चौहत्तर हजार छह सौ उनीस रुपये) मात्र
17.	पू० चम्पारण	42,57,572.00	9,47,263.00	52,04,835.00	(बावन लाख चार हजार आठ सौ पैंतीस रुपये) मात्र
18.	प० चम्पारण	31,61,660.00	7,03,434.00	38,65,094.00	(अड़तीस लाख पैसठ हजार चौरानवें रुपये) मात्र
19.	सीतामढ़ी	29,33,749.00	6,52,727.00	35,86,476.00	(पैंतीस लाख छियासी हजार चार सौ छियाहत्तर रुपये) मात्र
20.	शिवहर	6,64,336.00	1,47,808.00	8,12,144.00	(आठ लाख बारह हजार एक सौ चौवालीस रुपये) मात्र
21.	भागलपुर	25,31,267.00	5,63,179.00	30,94,446.00	(तीस लाख चौरानवें हजार चार सौ छियालीस रुपये) मात्र
22.	बाँका	19,05,724.00	4,24,003.00	23,29,727.00	(तेईस लाख उनतीस हजार सात सौ सताईस रुपये) मात्र

विवरणी-2

वित्तीय वर्ष 2019-20 में उप विकास आयुक्त-सह-मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, जिला परिषद को जिले की त्रि-स्तरीय पंचायती राज संस्थाओं के अंतर्गत पंचायत समिति (पंचायत समिति प्रमुख/उप-प्रमुख/पंचायत समिति सदस्य हेतु) को बकाया आवंटित राशि का विवरण।

क्र०	जिला	पंचायत समितियों के लिए		कुल राशि (रुपये में) (3+4)	
		सामान्य घटक बजट कोड 16-2515001970103 के विषय शीर्ष-0103. 31.06-सहायक अनुदान-गैर वेतन	अनुसूचित जाति घटक बजट कोड 16-2515007890105 के विषय शीर्ष-0105.31. 06-सहायक अनुदान-गैर वेतन		
1	2	3	4	5	
23.	मधुबनी	1,14,67,134.00	8,93,319.00	1,23,60,452.00	(एक करोड़ तेईस लाख साठ हजार चार सौ बावन रुपये) मात्र
24.	समस्तीपुर	37,92,052.00	8,43,690.00	46,35,742.00	(छियालीस लाख पैतीस हजार सात सौ बेयालीस रुपये) मात्र
25.	दरभंगा	33,31,381.00	7,41,195.00	40,72,576.00	(चालीस लाख बहत्तर हजार पाँच सौ छियहत्तर रुपये) मात्र
26.	सहरसा	16,29,321.00	3,62,506.00	19,91,827.00	(उनीस लाख इक्कानवें हजार आठ सौ सताईस रुपये) मात्र
27.	मधेपुरा	19,10,573.00	4,25,082.00	23,35,655.00	(तेईस लाख पैतीस हजार छह सौ पचपन रुपये) मात्र
28.	सुपौल	19,29,970.00	4,29,397.00	23,59,367.00	(तेईस लाख उनसठ हजार तीन सौ सड़सठ रुपये) मात्र
29.	पूर्णिमा	25,36,116.00	5,64,258.00	31,00,374.00	(एकतीस लाख तीन सौ चौहत्तर रुपये) मात्र
30.	अररिया	20,36,652.00	4,53,133.00	24,89,785.00	(चौबीस लाख नवासी हजार सात सौ पचासी रुपये) मात्र
31.	किशनगंज	12,94,728.00	2,88,063.00	15,82,791.00	(पन्द्रह लाख बेरासी हजार सात सौ इक्कानवें रुपये) मात्र
32.	कटिहार	25,99,156.00	5,78,284.00	31,77,440.00	(एकतीस लाख सहत्तर हजार चार सौ चालीस रुपये) मात्र
33.	मुंगेर	12,26,840.00	2,72,958.00	14,99,798.00	(चौदह लाख निन्यानवें हजार सात सौ अनठानवें रुपये) मात्र
34.	जमुई	15,66,282.00	3,48,481.00	19,14,763.00	(उनीस लाख चौदह हजार सात सौ तिरसठ रुपये) मात्र
35.	बेगुसराय	27,30,083.00	6,07,413.00	33,37,496.00	(तैतीस लाख सैतीस हजार चार सौ छियानवें रुपये) मात्र
36.	खगड़िया	13,38,371.00	2,97,773.00	16,36,144.00	(सोलह लाख छतीस हजार एक सौ चौवालीस रुपये) मात्र
37.	लखीसराय	9,89,231.00	2,20,093.00	12,09,324.00	(बारह लाख नौ हजार तीन सौ चौबीस रुपये) मात्र
38.	शेखपुरा	7,17,677.00	1,59,675.00	8,77,352.00	(आठ लाख सत्तहत्तर हजार तीन सौ बावन रुपये) मात्र
कुल राशि		9,66,96,160.00	1,98,55,840.00	11,65,52,000.00	(ग्यारह करोड़ पैसठ लाख बावन हजार रुपये) मात्र

विवरणी-3

वित्तीय वर्ष 2019-20 में उप विकास आयुक्त-सह-मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, जिला परिषद को जिले की त्रि-स्तरीय पंचायती राज संस्थाओं के अंतर्गत ग्राम पंचायत (ग्राम पंचायत के मुखिया/उप-मुखिया/ग्राम पंचायत सदस्य हेतु) को बकाया आवंटित राशि का विवरण

क्र०	जिला	ग्राम पंचायतों के लिए		कुल राशि (रुपये में) (3+4)	
		सामान्य घटक बजट कोड 16-2515001880105 के विषय शीर्ष-0105. 31.08-सहायक अनुदान-गैर वेतन	अनुसूचित जाति घटक बजट कोड 16-2515007890103 के विषय शीर्ष-0103.31. 08-सहायक अनुदान-गैर वेतन		
1	2	3	4	5	6
1.	बक्सर	6710999.00	1559361.00	8270360.00	(बेरासी लाख सत्तर हजार तीन सौ साठ रुपये) मात्र
2.	रोहतास	10845205.00	2519980.00	13365185.00	(एक करोड़ तैतीस लाख पैसठ हजार एक सौ पचासी रुपये) मात्र
3.	भोजपुर	11288454.00	2622973.00	13911427.00	(एक करोड़ उनचालीस लाख ग्यारह हजार चार सौ सताईस रुपये) मात्र
4.	नालन्दा	11475232.00	2666374.00	14141606.00	(एक करोड़ एकतालीस लाख एकतालीस हजार छह सौ छह रुपये) मात्र
5.	पटना	15139241.00	3517738.00	18656979.00	(एक करोड़ छियासी लाख छप्पन हजार नौ सौ उन्नायसी रुपये) मात्र
6.	कैमूर	6515393.00	1513910.00	8029303.00	(अस्सी लाख उनतीस हजार तीन सौ तीन रुपये) मात्र
7.	गया	15559724.00	3615441.00	19175165.00	(एक करोड़ इक्कायनवें लाख पचहत्तर हजार एक सौ पैसठ रुपये) मात्र
8.	नवादा	8650796.00	2010090.00	10660886.00	(एक करोड़ छह लाख छह हजार आठ सौ छियासी रुपये) मात्र
9.	औरंगाबाद	9623714.00	2236157.00	11859871.00	(एक करोड़ अठारह लाख उनसठ हजार आठ सौ एकहत्तर रुपये) मात्र
10.	जहानाबाद	4342356.00	1008985.00	5351341.00	(तिरपन लाख एकावन हजार तीन सौ एकतालीस रुपये) मात्र
11.	अरवल	2980549.00	692557.00	3673106.00	(छतीस लाख तिहत्तर हजार एक सौ छह रुपये) मात्र
12.	सारण	15442175.00	3588127.00	19030302.00	(एक करोड़ नब्बे लाख तीस हजार तीन सौ दो रुपये) मात्र
13.	सिवान	13848521.00	3217828.00	17066349.00	(एक करोड़ सत्तर लाख छियासठ हजार तीन सौ उनचास रुपये) मात्र
14.	गोपालगंज	10859608.00	2523327.00	13382935.00	(एक करोड़ तैतीस लाख बेरासी हजार नौ सौ पैतीस रुपये) मात्र
15.	मुजफ्फरपुर	18015716.00	4186113.00	22201829.00	(दो करोड़ बाईस लाख एक हजार आठ सौ उनतीस रुपये) मात्र
16.	वैशाली	13518640.00	3141177.00	16659817.00	(एक करोड़ छियासठ लाख उनसठ हजार आठ सौ सत्तर रुपये) मात्र
17.	पू० चम्पारण	19114547.00	4441435.00	23555982.00	(दो करोड़ पैतीस लाख पचपन हजार नौ सौ बेरासी रुपये) मात्र
18.	प० चम्पारण	14433480.00	3353748.00	17787228.00	(एक करोड़ सत्तहत्तर लाख सतासी हजार दो सौ अठाईस रुपये) मात्र
19.	सीतामढ़ी	12970386.00	3013785.00	15984171.00	(एक करोड़ उनसठ लाख चौरासी हजार एक सौ एकहत्तर रुपये) मात्र
20.	शिवहर	2523361.00	586326.00	3109687.00	(एकतीस लाख नौ हजार छह सौ सतासी रुपये) मात्र

विवरण-3

वित्तीय वर्ष 2019-20 में उप विकास आयुक्त-सह-मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, जिला परिषद् को जिले की त्रि-स्तरीय पंचायती राज संस्थाओं के अंतर्गत ग्राम पंचायत (ग्राम पंचायत के मुखिया/उप-मुखिया/ग्राम पंचायत सदस्य हेतु) को बकाया आवंटित राशि का विवरण

क्र०	जिला	ग्राम पंचायतों के लिए		कुल राशि (रुपये में) (3+4)	
		सामान्य घटक बजट कोड 16-2515001980105 के विषय शीर्ष-0105. 31.06-सहायक अनुदान-गैर वेतन	अनुसूचित जाति घटक बजट कोड 16-2515007890103 के विषय शीर्ष-0103.31. 06-सहायक अनुदान-गैर वेतन		
1	2	3	4	5	
21.	भागलपुर	10860073.00	2523435.00	13383508.00	(एक करोड़ तैंतीस लाख तेरासी हजार पाँच सौ आठ रुपये) मात्र
22.	बांका	8511874.00	1977810.00	10489684.00	(एक करोड़ चार लाख नवासी हजार छह सौ चौरासी रुपये) मात्र
23.	मधुबनी	71269571.00	4360251.00	75629822.00	(सात करोड़ छप्पन लाख उनतीस हजार आठ सौ बाईस रुपये) मात्र
24.	समस्तीपुर	17772718.00	4129650.00	21902368.00	(दो करोड़ उनीस लाख दो हजार तीन सौ अरसठ रुपये) मात्र
25.	दरभंगा	15254932.00	3544619.00	18799551.00	(एक करोड़ सतासी लाख निन्यानवे हजार पाँच सौ एकावन रुपये) मात्र
26.	सहरसा	7063182.00	1641194.00	8704376.00	(सतासी लाख चार हजार तीन सौ छियहत्तर रुपये) मात्र
27.	मधेपुरा	7735955.00	1797518.00	9533473.00	(ननचानवे लाख तैंतीस हजार चार सौ तिहत्तर रुपये) मात्र
28.	सुपौल	8566234.00	1990441.00	10556675.00	(एक करोड़ पाँच लाख छप्पन हजार छह सौ पचहत्तर रुपये) मात्र
29.	पूर्णिया	11449214.00	2660328.00	14109542.00	(एक करोड़ एकतालीस लाख नौ हजार पाँच सौ बेयालीस रुपये) मात्र
30.	अररिया	10191947.00	2368190.00	12560137.00	(एक करोड़ पच्चीस लाख साठ हजार एक सौ सैंतीस रुपये) मात्र
31.	किशनगंज	5982936.00	1390189.00	7373125.00	(तिहत्तर लाख तिहत्तर हजार एक सौ पच्चीस रुपये) मात्र
32.	कटिहार	11121191.00	2584108.00	13705299.00	(एक करोड़ सैंतीस लाख पाँच हजार दो सौ निन्यानवे रुपये) मात्र
33.	मुंगेर	4675026.00	1086284.00	5761310.00	(सनतावन लाख एकसठ हजार तीन सौ दस रुपये) मात्र
34.	जमुई	6835053.00	1588186.00	8423239.00	(चौरासी लाख तेईस हजार दो सौ उनचालीस रुपये) मात्र
35.	बेगुसराय	11033842.00	2563812.00	13597654.00	(एक करोड़ पैंतीस लाख सनतानवे हजार छह सौ चौवन रुपये) मात्र
36.	खगड़िया	6236620.00	1449134.00	7685754.00	(छियहत्तर लाख पचासी हजार सात सौ चौवन रुपये) मात्र
37.	लखीसराय	3779699.00	878247.00	4657946.00	(छियालीस लाख सनतावन हजार नौ सौ छियालीस रुपये) मात्र
38.	शेखपुरा	2456920.00	570888.00	3027808.00	(तीस लाख सताईस हजार आठ सौ आठ रुपये) मात्र
कुल राशि		444655084.00	91119716.00	535774800.00	(तिरपन करोड़ सनतावन लाख चौहत्तर हजार आठ सौ रुपये) मात्र

विवरणी-4

वित्तीय वर्ष 2019-20 में जिला पंचायत राज पदाधिकारी को जिले के ग्राम कचहरी (ग्राम कचहरी के सरपंच/उप-सरपंच/पंच) के लिए बकाया आवंटित राशि का विवरण

क्र०	जिला	ग्राम कचहरियों के लिए		कुल राशि (रूपये में) (3+4)	
		सामान्य घटक बजट कोड 16-2515001980106 के विषय शीर्ष-0106. 31.06-सहायक अनुदान-गैर वेतन	अनुसूचित जाति घटक बजट कोड 16-2515007890104 के विषय शीर्ष-0104.31. 06-सहायक अनुदान-गैर वेतन		
1	2	3	4	5	
1.	बक्सर	7609523.00	1504751.00	91,14,274.00	(इक्कायनवे लाख चौदह हजार दो सौ चौहत्तर रुपये) मात्र
2.	रोहतास	12297252.00	2431729.00	1,47,28,981.00	(एक करोड़ सैतालीस लाख अठाईस हजार नौ सौ एकासी रुपये) मात्र
3.	भोजपुर	12799847.00	2531115.00	1,53,30,962.00	(एक करोड़ तिरपन लाख तीस हजार नौ सौ बासठ रुपये) मात्र
4.	नालन्दा	13011632.00	2572995.00	1,55,84,627.00	(एक करोड़ पचपन लाख चौरासी हजार छह सौ सताईस रुपये) मात्र
5.	पटना	17166230.00	4450700.00	2,16,16,930.00	(दो करोड़ सोलह लाख सोलह हजार नौ सौ तीस रुपये) मात्र
6.	कैमूर	7387728.00	3595800.00	1,09,83,528.00	(एक करोड़ नौ लाख तेरासी हजार पाँच सौ अठाईस रुपये) मात्र
7.	गया	17642990.00	3488826.00	2,11,31,816.00	(दो करोड़ ग्यारह लाख एकतीस हजार आठ सौ सोलह रुपये) मात्र
8.	नवादा	9809036.00	1939695.00	1,17,48,731.00	(एक करोड़ सतरह लाख अड़तालीस हजार सात सौ एकतीस रुपये) मात्र
9.	औरंगाबाद	10912217.00	2157845.00	1,30,70,062.00	(एक करोड़ तीस लाख सत्तर हजार बासठ रुपये) मात्र
10.	जहानाबाद	4923747.00	973650.00	58,97,397.00	(अठान्न लाख सनतानवे हजार तीन सौ सनतानवे रुपये) मात्र
11.	अरवल	3379610.00	668304.00	40,47,914.00	(चालीस लाख सैतालीस हजार नौ सौ चौदह रुपये) मात्र
12.	सारण	17509702.00	3462469.00	2,09,72,171.00	(दो करोड़ नौ लाख बहत्तर हजार एक सौ एकहत्तर रुपये) मात्र
13.	सिवान	15702677.00	3105138.00	1,88,07,815.00	(एक करोड़ अठासी लाख सात हजार आठ सौ पन्द्रह रुपये) मात्र
14.	गोपालगंज	12313583.00	2434959.00	1,47,48,542.00	(एक करोड़ सैतालीस लाख अड़तालीस हजार पाँच सौ बेयालीस रुपये) मात्र
15.	मुजफ्फरपुर	20427810.00	4039513.00	2,44,67,323.00	(दो करोड़ चौवालीस लाख सड़सठ हजार तीन सौ तेईस रुपये) मात्र
16.	वैशाली	15328628.00	3031171.00	1,83,59,799.00	(एक करोड़ तिरासी लाख उनसठ हजार सात सौ निनानवे रुपये) मात्र
17.	पूँछनारा	21673761.00	4285894.00	2,59,59,655.00	(दो करोड़ उनसठ लाख उनसठ हजार छह सौ पचपन रुपये) मात्र
18.	पटना	16365955.00	3236298.00	1,96,02,253.00	(एक करोड़ छियानवे लाख दो हजार दो सौ तिरपन रुपये) मात्र
19.	सीतामढ़ी	14706969.00	2908241.00	1,76,15,210.00	(एक करोड़ छियहत्तर लाख पन्द्रह हजार दो सौ दस रुपये) मात्र
20.	शिवहर	2861210.00	565792.00	34,27,002.00	(चौतीस लाख सताईस हजार दो रुपये) मात्र

विवरणी-4

वित्तीय वर्ष 2019-20 में जिला पंचायत राज पदाधिकारी को जिले के ग्राम कचहरी (ग्राम कचहरी के सरपंच/उप-सरपंच/पंच) के लिए बकाया आवंटित राशि का विवरण

क्र०	जिला	ग्राम कचहरियों के लिए		कुल राशि (रूपये में) (3+4)	
		सामान्य घटक बजट कोड 16-2515001980106 के विषय शीर्ष-0106. 31.06-सहायक अनुदान-गैर वेतन	अनुसूचित जाति घटक बजट कोड 16-2515007890104 के विषय शीर्ष-0104.31. 06-सहायक अनुदान-गैर वेतन		
1	2	3	4	5	
21.	भागलपुर	12314110.00	2435063.00	1,47,49,173.00	(एक करोड़ सैंतालीस लाख उनचास हजार एक सौ तिहत्तर रूपये) मात्र
22.	बांका	9651514.00	1908546.00	1,15,60,060.00	(एक करोड़ पन्द्रह लाख साठ हजार साठ रूपये) मात्र
23.	मधुबनी	21277586.00	4207552.00	2,54,85,138.00	(दो करोड़ चौवन लाख पचासी हजार एक सौ अड़तीस रूपये) मात्र
24.	समस्तीपुर	20152278.00	3985028.00	2,41,37,306.00	(दो करोड़ एकतालीस लाख सैंतीस हजार तीन सौ छह रूपये) मात्र
25.	दरभंगा	17297389.00	3420485.00	2,07,17,874.00	(दो करोड़ सात लाख सतरह हजार आठ सौ चौहत्तर रूपये) मात्र
26.	सहरसा	8008860.00	1583718.00	95,92,578.00	(नवनवें लाख बरानवें हजार पाँच सौ अठहत्तर रूपये) मात्र
27.	मधेपुरा	8771709.00	1734568.00	1,05,06,277.00	(एक करोड़ पाँच लाख छह हजार दो सौ सतहत्तर रूपये) मात्र
28.	सुपौल	9713153.00	1920735.00	1,16,33,888.00	(एक करोड़ सोलह लाख तैंतीस हजार आठ सौ अठासी रूपये) मात्र
29.	पूर्णिया	12982130.00	2567161.00	1,55,49,291.00	(एक करोड़ पचपन लाख उनचास हजार दो सौ एकानवें रूपये) मात्र
30.	अररिया	11556529.00	2285255.00	1,38,41,784.00	(एक करोड़ अड़तीस लाख एकतालीस हजार सात सौ चौरासी रूपये) मात्र
31.	किशनगंज	6783982.00	1341504.00	81,25,486.00	(एकासी लाख पच्चीस हजार चार सौ छियासी रूपये) मात्र
32.	कटिहार	12610188.00	2493611.00	1,51,03,799.00	(एक करोड़ एकावन लाख तीन हजार सात सौ निन्यानवें रूपये) मात्र
33.	मुंगेर	5300957.00	1048242.00	63,49,199.00	(तिरसठ लाख उनचास हजार एक सौ निन्यानवें रूपये) मात्र
34.	जमुई	7750187.00	1532567.00	92,82,754.00	(बेरानवें लाख बेरासी हजार सात सौ चौवन रूपये) मात्र
35.	बेगुसराय	12511144.00	2474026.00	1,49,85,170.00	(एक करोड़ उनचास लाख पचासी हजार एक सौ सत्तर रूपये) मात्र
36.	खगड़िया	7071631.00	1398385.00	84,70,016.00	(चौरासी लाख सत्तर हजार सोलह रूपये) मात्र
37.	लखीसराय	4285757.00	847490.00	51,33,247.00	(एकावन लाख तैंतीस हजार दो सौ सैंतालीस रूपये) मात्र
38.	शेखपुरा	2785873.00	550895.00	33,36,768.00	(तैंतीस लाख छतीस हजार सात सौ अड़सठ रूपये) मात्र
कुल राशि		44,46,55,084.00	91119716.00	53,57,74,800.00	(तिरपन करोड़ सनतावन लाख चौहत्तर हजार आठ सौ रूपये) मात्र

✓ ✓